

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-

दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :-

115/2019

1. धर्मराज आयु 29 वर्ष
2. रामराज आयु 26 वर्ष
3. जुगराज आयु 23 वर्ष पिसरान श्री रामस्वरूप जाति मीणा निवासी बालोद तह० के० पाटन जिला बून्दी राज०

-वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 52 साल आ० श्री सूरजमल जाति मीणा निवासी बालोद तह० के० पाटन जिला बून्दी राज०
2. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार के० पाटन जिला बून्दी राज०

- प्रतिवादीगण

वाद :- अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर०टी०एक्ट

उपस्थित :-

1. वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव, एडवोकेट
2. प्रति० की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, एडवोकेट।

-: निर्णय :-

दिनांक -03.09.2019


1. वादी के द्वारा दिनांक 22.07.2019 को यह वाद अधिकार घोषणा एवं बंटवारा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 ग्राम व माल बालोद के खाता सं. 118 नया की खसरा संख्या 385 रकबा 0.05 है०, ख.सं. 623/209 रकबा 1.71 है०, ख.सं. 625/301 रकबा 1.09 है० कुल

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

- किता 3 कुल रकबा 2.85 है0 है। जो अकेले प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 ग्राम व माल टाकरवाडा के खाता सं. 96 नया की खसरा संख्या 691 रकबा 2.44 है0, ख.सं. 692 रकबा 1.05 है0, ख.सं. 723 रकबा 1.91 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.40 है0 है। जो अकेले प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 व वादीगण पिता-पुत्र है। वर्णित कृषि भूमियां पैतृक भूमियां है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि में बराबर-बराबर हिस्सा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का पारिवारिक बंटवारा कर रखा है जिसके मुताबिक ही वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 अलग-अलग कब्जा काशत है। वादीगण को उक्त भूमि पर जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 1 विवादित आराजी को हंस्तातरण, रहन, बय करने पर आमादा है क्योंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को 1/4-1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावें।
3. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्गे सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की और से दिनांक 19.08.2019 को राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
 4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.08.2019 को बाद जाँच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 118 नया की खसरा संख्या 385 रकबा 0.05 है0, ख.सं. 623/209 रकबा 1.71 है0, ख.सं. 625/301 रकबा 1.09 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.85 है0 वाके ग्राम व माल बालोद, खाता सं. 96 नया की खसरा संख्या 691 रकबा 2.44 है0, ख.सं. 692 रकबा 1.05 है0, ख.सं. 723 रकबा 1.91 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.40 है0 वाके ग्राम व माल टाकरवाडा तहसील के0


उपखण्ड अधिकारी
के. शूटन (बून्दी)

पाटन जिला बून्दी राज0 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को 1/4-1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



3/9/19
(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत

इजलास - दुर्गाशंकर मीना

उपखण्ड अधिकारी मुकाम के०पाटन

आर.ए.एस.

धर्मराज

V/S

रामस्वरूप वगै०

वाद- अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 115/2019


वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव, अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 03.09.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि-

"वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 118 नया की खसरा संख्या 385 रकबा 0.05 है०, ख.सं. 623/209 रकबा 1.71 है०, ख.सं. 625/301 रकबा 1.09 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.85 है० वाके ग्राम व माल बालोद, खाता सं. 96 नया की खसरा संख्या 691 रकबा 2.44 है०, ख.सं. 692 रकबा 1.05 है०, ख.सं. 723 रकबा 1.91 है० कुल किता 3 कुल रकबा 5.40 है० वाके ग्राम व माल टाकरवाडा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को 1/4-1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के० पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीजग..... मुबलिकग..... बाबत
ग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरहग..... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तकग..... को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 03.09.2019 को जारी की गई।

मोहर



(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन